

प्रार्थीगण

अफसाना बानो पुत्री ताज मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी बेडा
तहसील बाली वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण

अब्बास अली पुत्र फकीर मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी बेडा
तहसील बाली वगैरा

राजस्व विविध GCMS NO. 2022/
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये												
13-10-2022	<p>पत्रावली प्रेशा हुई। वकील प्रार्थीगण श्री हेमंत कोहरा उपप वकील ऊप्राचीवस 01 व उसे 02 एवं 14 श्री दुस्लाम चौधरी उपप वकील प्रार्थीगण श्री हेमंत कोहरा से प्राप्त धारा 229 का प्रस्तुत कर स्वसच्चावस्य द्वारा राजस्व वापस 2021/2022 के अनुसार अफसाना बानो कोहरा बनाम अब्बास अली कोहरा में रिनांक 22-9-2022 को सिविल डिप्टी में तकनीकी विधिकी सेवसे प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के हिससे बंर में रिकार्ड में दर्ज हिससा से कम हामे तथा उम्मीदीवस 01 व उसे 02 के हिससे बंर में रिकार्ड में दर्ज हिससा से अधिक हामे दर्ज करने से रिनांक 22-9-2022 को जारी निर्णय में हिससे के जारी निर्णयानुसार स्वसच्चावस्य का निवेदन किया:-</p> <p>रिनांक 22-9-2022 के निर्णय व डिप्टी में कांकन</p> <p>संशोधन के अनुसार दर्ज करना</p> <table border="0"> <tr> <td>1) वकील के हिससे में 3.7125 हक</td> <td>4.12 हक</td> </tr> <tr> <td>2) प्रसिदा 1) अब्बास अली 1.2225 हक</td> <td>1.63 हक</td> </tr> <tr> <td>3) प्रसिदा 3 से 9. 2.4450 हक</td> <td>1.63</td> </tr> <tr> <td>4) प्रसिदा 10 से 13 8.00 हक</td> <td>8.00 (यथावत)</td> </tr> <tr> <td>5) प्रसिदा 14 0.80 हक</td> <td>0.80 यथावत</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>16.18 हक</td> </tr> </table>	1) वकील के हिससे में 3.7125 हक	4.12 हक	2) प्रसिदा 1) अब्बास अली 1.2225 हक	1.63 हक	3) प्रसिदा 3 से 9. 2.4450 हक	1.63	4) प्रसिदा 10 से 13 8.00 हक	8.00 (यथावत)	5) प्रसिदा 14 0.80 हक	0.80 यथावत	कुल	16.18 हक	<p>Handwritten signatures and initials are present in this column, including a signature that appears to be 'Hemant' and another that appears to be 'Ishkumar'.</p>
1) वकील के हिससे में 3.7125 हक	4.12 हक													
2) प्रसिदा 1) अब्बास अली 1.2225 हक	1.63 हक													
3) प्रसिदा 3 से 9. 2.4450 हक	1.63													
4) प्रसिदा 10 से 13 8.00 हक	8.00 (यथावत)													
5) प्रसिदा 14 0.80 हक	0.80 यथावत													
कुल	16.18 हक													

वकील शर्मा के शापु पर वकील प्रति ०५ ३ ०५ ३
 श्री सुरेश चव्हाण ने साक्ष्य प्रकट कर दिव्य शापु
 प्रकट कर पूर्व मासिक सिंगल डिप्टी में सांशोधन
 का निवेदन किया।

पत्रावली व उपरोक्त वेक के अनुबन्धन में प्रकरण में यह
 बात है कि जयवती अंश २५०-३०२१ में रजिस्ट्रार के अनुसार
 अंश २५० II सिंगल शर्मा अंतरानंकर ३।१६ अंश १६-१८ एकर
 में वकील के मुकामिना ताज मोहन पुर फकीर मोहन
 के नाम ३.२९ एकर शर्मा पुर से कले के नाम तथा ५.८९ एकर
 में फकीर मोहन के वारिसान के साथ ५५ सिंसा में सहस्योत्तर
 रजिस्ट्रार है। ताज मोहन पुर फकीर मो. के देयत के साथ ३.२९
 एकर अंश वकील के नाम रजिस्ट्रार है। इस ३.२९ एकर में
 ०.८० एकर शर्मा का वचन अंश १० मांवाजी गवायिया
 को कले पुर (३.२९-०.८०) = २.४९ एकर वकील
 के अंश ही रही तथा कले पिता की सहस्योत्तर की ५.८९
 एकर में सह फकीर मोहन के वकी वारिसान के साथ वसिना
 अंतरानंकर अंतरानंकर शर्मा प्राप्त हुई। पत्रवली एकरा बेटा
 अंतरानंकर अंतरानंकर जो तस्वीर वाली के मांवाजी
 अंतरानंकर के है। इस अंतरानंकर रिपोर्ट में वकील के पिता मुकामिना
 ताज मोहन को सह फकीर मोहन को प्राप्त शर्मा का
 ५५ सिंसा ही दिया है, जबकि प्रकरण में यह वकील
 तब है कि फकीर मोहन के वारिसान पार्टी का तस्वीर
 की मुकामिना के साथ ३ वारिस चवा मोहन एनीक के वारिस
 अंतरानंकर ३ ०५ ३ अंश अंतरानंकर शर्मा प्रति ०५ ३ ०५ ३ वकील
 के पिता पिता ताज मोहन ही वारिस रहते हैं। जिससे
 ५.८९ एकर अंश वकील ५३ सिंसा अनुसार १.६३ एकर
 सहस्योत्तर में अंतरानंकर अंतरानंकर के कार्यकारी बनते हैं।
 जिसके अनुसार वकील के सिंसे की शर्मा का
 अंश (२.४९ + १.६३) = ४.१२ एकर तथा प्रति ०५ का
 १.६३ एकर अंतरानंकर ३ ०५ ३ का १.६३ एकर अनुस
 है। अंतरानंकर १० ०५ १३ व प्रति ०५ १५ के सिंसे में
 वेक में रजिस्ट्रार के अनुसार शर्मा अंतरानंकर
 की है, तथा निवेदन व सिंगल डिप्टी में श्री
 प्रति ०५ १० ०५ १३ व प्रति ०५ १५ के सिंसे में को

गुटि नहीं है।

इस प्रकार के उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार
व सुधारा को सुनने के पश्चात् प्र. प्र. प्र. प्र.
द्वारा 229 राम अधिकार किया जाता है।

राजस्थान 180/2021, 17-11-2021 NC 2021/320 कुम्हार
कुम्हाराना बाबू कान्हा कुम्हार कुम्हार कुम्हार
कुम्हार द्वारा 53,188,209 राम में निम्न
22-5-2022 को पारित निर्णय (Final डिफेंडि
में निम्नानुसार व्ययों के आदेश दिए जाते हैं:-

फिंथ डिफेंडि में आदेश	व्ययों के अनुसार रकम
1) कमीशन के दरों में 3-7655 एकर	4-12 एकर
2) प्रति-व्यय कुम्हार कुम्हार 2022 एकर	1-63 एकर
3) प्रति-व्यय 3 से 9 2-4450 एकर	1-63 एकर
4) प्रति-व्यय 10 से 13 8-00 एकर	8-00 एकर (व्ययित)
5) प्रति-व्यय 14 0-80 एकर	0-80 एकर (व्ययित)
	कुल 16-18 एकर

इस विषय को फिंथ डिफेंडि डिफेंडि 22-5-2022
के निर्णय में माना जावे। आदेशानुसार वेरड में
इस प्रकार के विद्युत तारों के बिलों को को
प्रति मासिक निर्णय जावे। प्रचलित प्र. प्र. प्र. प्र.
के निर्णय अनुसार प्र. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र.
कुम्हाराना बाबू कान्हा कुम्हार कुम्हार कुम्हार
दि. 22-5-2022 के अनुसार व्ययों के
रकम है।

उपरोक्त अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)